न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 140 / 2022

1 मालाराम उम्र 65 साल पुत्र नारायण जाति जाट निवासी पापड़ाकलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.05.2016 द्वारा उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के उनवानी प्रकरण सरकार जरिये तहसीलदार बनाम मालाराम प्रकरण संख्या 112 / 2016 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को अपास्त व निरस्त किये जाने हेतु

उपस्थिति :

1. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार, II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 2/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 112/2016 में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वाके ग्राम पापड़ा कलां की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 4 रकबा 1.39 है. स्थिति है, जो अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि है। इस भूमि को पहले अपीलान्ट के पूर्वज काश्त करते थे और अपीलान्ट के पूर्वजों की मृत्यु के बाद अपीलान्ट को विरासतन प्राप्त हुई जिस पर दोनों फसलें रबी व खरीब की फसल काश्त कर अपना व अपने पविार का जीवकोपार्जन करता है। उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट ने एक वेग प्रार्थना पत्र धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आधारहीन तथ्यों पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समक्ष पेश कर इसका निर्णय एकपक्षीय कैम्प कोर्ट पापड़ा कलां में उपरोक्त भूमि में से भूमि खसरा नम्बर 04 रकबा 1.39 हैक्टेयर किस्म चाही अपीलान्ट की पैत्रिक खातेदारी की भूमि को दिनांक 26.05. 2016 को सिवायचक के घोषित करवा ली गई। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका तथा पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 26.05.2016 को कैम्प कोर्ट पापड़ा कलां में पेश होने बाबत कोई तारीख पेशी का नोटिस अपीलान्ट को नहीं दिया गया है, वैसे भी धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्ररण में कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में सुनवाई का कोई अवसर अपीलार्थी को नहीं दिया गया है। न्याय आपके द्वारा राजस्व कैम्प की मूल भावना के अनुसार दोनों पक्षों के मध्य सहमति के आधार उनकी उपस्थिति में प्रकरणों को निस्तारित करने का निर्देश था, आक्षेपित आदेश में अपीलार्थी की उपस्थिति का कोई विवरण अंकित नहीं है, ना ही अपीलार्थी को सुनवाई बाबत कोई नोटिस ही जारी किया गया है, उक्तानुसार विचारण न्यायालय ने न्याय के नैसर्गिग सिद्धान्तों की

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अवहेलना करके आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो निरस्तं होने योग्य है। अपीलार्थी को न तो नोटिस मिला, ना ही प्रकरण में तामील जारी हुई है अगर अपीलार्थी को मालूमात चलता तो वह प्रकरण को गम्भीरता से कन्टेस्ट करता, वैसे भी निर्णय पारित करने से पूर्व प्रकरण में अपीलार्थी को सूचना बाबत कोई तामील अथवा सूचना जारी नहीं की गई है, उक्तानुसार स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विपरित प्रकरण में जो निर्णय पारित किया गया है, उक्त हेतु न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के अनुसार अपीलार्थी को इस बाबत सुनवाई का अवस दिया जाना उचित व न्यायसंगत था लेकिन उससे वंचित करके प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है, इसलिए निर्णय निरस्त होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार उदयपुरवाटी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में विवादित भूमि खसरा नम्बर 4 वाके ग्राम पापड़ा कलां में मौके पर खनन किया हुआ है। मौके पर खनन किया हुआ पाया गया तथा जमीन उबड़ खाबड़ व लगभग 20–25 फीट के खड्डे बने हुये है। उक्त खसरा नम्बर को कृषि कार्य के काम में नहीं लिया जा रहा है। खातेदारान द्वारा बिना भू–रूपान्तरण करवाये ही भूमि का अकृषि उपयोग करना कतई अनुचित है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के सर्वथा विपरित है। भूमि का इस प्रकार अवैध रूप से बजरी दोहन हेतु उपयोग कृषि प्रयोज्य रकबे को कम करेगा तथा भूमि के स्वरूप में असंतुलित परिवर्तन करेगा। खातेदार द्वारा ऐसा करके स्पष्ट रूप से धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अहितकर कार्य कर संविदा भंग की है व उसके खातेदारी अधिकार निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

जहां प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकरण में निम्नलिखित विधिक त्रुटियां पाई गई है।

1 प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा तामील की प्रकिया विधि सम्मत तरीके से संपादित नहीं की गई है।

2 प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा विवाद बिन्दु कायम नहीं किये गये है।

3 विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण के लिए मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये है।

4 पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय निम्न विधिक बिन्दुओं की पालना नहीं की गई है।

(अ) स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये है।
(ब) पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा नहीं बनाया गया है। इसके अभाव में खनन की गई भूमि के रकबे का आंकलन नहीं हो सकता है।
(स) खनन की गई भूमि के फोटोग्राफ/गुगल मेप भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है।

5 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 89 के तहत कृषि भूमि में खनन किये गये तत्व(खनिज) का पंचनामा तैयार नहीं किया गया है, जो कि माईनिंग विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया जाना होता है, ना ही पक्षकारों को शास्ति का नोटिस दिया गया।

6 पत्रावली पर खनन किये गये खनिज की जब्ती की फर्द तैयार नहीं की गई है।

7 खनन के संदर्भ में खान विभाग को सूचना दिये जाने का दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है।

8 अवैध खनन के संदर्भ में माईनिंग विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम से पंचनामा तैयार करवाकर भू–राजस्व अधिनियम की धारा 89 के

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

तहत प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। निर्णय में विवेचित अन्य बिन्दुओं की भी पालना कर संपूर्ण तथ्यों को पुनः निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर लिया जाना आवश्यक है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विधिक प्रक्रिया अनुसार विचारण न्यायालय को किसी भी खातेदार की खातेदारी समाप्त करने से पूर्व तहसीलदार भूमिधारक से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर निर्णय पारित करना चाहिए। विचारण न्यायालय ने उक्त विधिक बिन्दुओं की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय का इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि निर्णय में विवेचित बिन्दुओं की आवश्यक रूप से पालना कर, अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय आगामी दो माह में आवश्यक रूप से पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 8/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार [illegible])
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर